



कार्यालय- निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्र संख्या-433 /सा0-1/एक्स-160/एफ.एम.डी.-सी.पी./19वां चरण/2016-17, दिनांक 15.9.2016

खुरपका मुँहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एफ0एम0डी0-सी0पी0) कार्यक्रम संचालित किये जाने के संबंध में शासनादेश सं0-2151/सैतीस-2-2016-30(95)/2015 दिनांक 12.09.2016 की पृष्ठांकन प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. उपायुक्त (एल0एच0), पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5. प्रमुख सचिव, पशुधन, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय लखनऊ।
6. समस्त अपर निदेशक, ग्रेड-2, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. निदेशक, प्रशासन एवं विकास/निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, कैम्प कार्यालय लखनऊ।


(ए0एन0सिंह)
निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र।


प्रेषक,

दीपक सिंघल,
मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन ।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश ।

2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

पशुधन अनुभाग-2

विषय:- खुरपका-मुँहपका रोग नियंत्रण (एफ०एम०डी०-सी०पी०) कार्यक्रम संचालित किये जाने के संबंध में।
महोदय,

लखनऊ :: दिनांक- 12 सितम्बर, 2016

भारत सरकार के सहयोग से खुरपका-मुँहपका रोग नियंत्रण (एफ०एम०डी०-सी०पी०) कार्यक्रम संचालित किया जाना है, जिसके अन्तर्गत गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं का शत-प्रतिशत टीकाकरण (04 माह से कम आयु के बच्चों को तथा 08 माह से अधिक गर्भित पशुओं को छोड़ते हुए) 45 दिनों में अभियान चलाकर संचालित किया जाना है। अभियान के समयबद्ध संचालन हेतु टीमों का गठन, प्रत्येक दिवस का रूटचार्ट एवं परिचालन हेतु वाहनों की व्यवस्था की जाती है। वैक्सीन को भण्डारण के स्थान से पशुओं के टीकाकरण तक पर्याप्त कोल्ड चेन में परिरक्षित किया जाता है। टीकाकरण अभियान प्रत्येक 06 माह के अन्तराल पर संचालित किया जाता है।

2- खुरपका-मुँहपका रोग पशुओं में तेजी से फैलने वाला विषाणुजनित रोग है, जिससे पशुओं के उत्पादन एवं कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। रोग के प्रकोप की स्थिति में पशु उत्पादों यथा दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों, मॉस आदि का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सीधे प्रभावित होता है। वर्तमान में प्रदेश में कामधेनु जैसी महत्वपूर्ण योजना संचालित की जा रही है, जिसमें पशु अन्य प्रदेशों से लाये जा रहे हैं, इन पशुओं को भी पर्याप्त रोग निरोधक टीका लगाकर रोग मुक्त बनाये रखने की आवश्यकता है, जिससे प्रदेश में उत्पादन का स्तर बना रहे एवं पशुपालकों को भी आर्थिक क्षति न उठाना पड़े। वर्तमान में टीकाकरण अभियान का 19वाँ चरण 15 सितम्बर, 2016 से प्रारम्भ हो रहा है, जिसमें प्रदेश के समस्त जनपदों में 04 करोड़ 76 लाख पशुओं का टीकाकरण होना है। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, जिसको सफल बनाना भी एक महत्वपूर्ण दायित्व है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त महत्वपूर्ण व्यापक अभियान में आपका सक्रिय सहयोग, कुशल मार्गदर्शन एवं नेतृत्व आवश्यक है। कृपया अपने मण्डल/जनपद के अपर निदेशक/मुख्य पशुचिकित्साधिकारी के साथ प्रस्तावित अभियान की तैयारियों की समीक्षा कर इसे गति प्रदान करने में अपना विशिष्ट सहयोग प्रदान करते हुए कार्यक्रम के सफलतापूर्वक संचालन हेतु प्रत्येक सप्ताह कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करें। कार्यक्रम के दौरान तकनीकी रूप से दक्ष पर्याप्त कार्मिकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने हेतु इस अवधि में पशुपालन विभाग के कार्मिकों को अन्य ड्यूटी से मुक्त रखा जाय। उपरोक्त कार्यक्रम का प्रभावी अनुश्रवण आवश्यक है। अतः समस्त जिलाधिकारी अपने जनपद के कम से कम 50 गाँवों में जिला स्तरीय टास्क फोर्स के अधिकारियों को भेजकर टीकाकरण का सत्यापन अनिवार्य रूप से करायें, इसके अतिरिक्त आप एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण ग्रामीण क्षेत्र के भ्रमण के समय टीकाकरण की पुष्टि भी करें।

भवदीय,


(दीपक सिंघल)
मुख्य सचिव ।

संख्या-2151(1)/सैतीस-2-2016-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- स्टाफ आफिसर कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र०शासन ।
- 2- निदेशक (प्रशासन एवं विकास)/निदेशक (रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र) पशुपालन विभाग, उ०प्र० लखनऊ ।
- 3- समस्त अपर निदेशक, ग्रेड-2 (संबंधित मण्डल)/समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, उ०प्र० ।
- 4- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,



(पी०के० महान्ति)
प्रमुख सचिव ।